न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 109/2017 **दायरा दिनांक : 14.08.2017**

उनवान

मिथलेश कंवर उम्र 35 वर्ष पत्नी श्री हेमराज सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— हेमलता चन्द्रावत पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह चन्द्रावत, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर जिला झालावाड

2— हैतिका नाबालिग पुत्री देवेन्द्र सिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता हेमलता चन्द्रावत पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह चन्द्रावत, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर जिला झालावाड

3— हरिसिंह पंवार पुत्र उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर जिला झालावाड

4— बद्रीलाल पुत्र श्री ग्यारसीराम, जाति गूजर, निवासी ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर जिला झालावाड

5— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

6— पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिगढ जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक हरिगढ, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट
की ओर से
श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट
की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.04.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 1048/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 6 के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम हरिगढ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड में खतौनी संख्या नयी 364 पुरानी 104 की आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 453/1737 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कुल 4 किता की 43 बीघा 1 बिस्वा आराजी दर्ज है जिसके खातेदार वादीगण हैं । खसरा नम्बर 318 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा आराजी से लगवा खसरा नम्बर 317 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है जिसके खातेदार मिथलेश कंवर हैं परन्तु वो बाहर रहती है । मौके पर प्रतिवादी नम्बर 1 ही काम करते हैं और खसरा नम्बर 324 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा

आराजी भंवर बाई की है जिसको वो खुद काश्त नहीं करते वरन प्रतिवादी नम्बर 2 काश्त करते हैं । प्रतिवादीगण ने काश्त करके वादी की आराजी पर कब्जा करने का मनसूबा बना रखा है । यदि प्रतिवादी अपने कृत्य में सफल हो गया तो वादी को भारी क्षति होगी । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा न करें और यदि वो खसरा नम्बर 318 और 324 पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो उन्हें कब्जा दिलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई और दिनांक 15.03.2017 को दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एवं अन्य समीपवर्ती आराजी के खातेदारों को पक्षकार न बनाकर वाद पेश किया है जो पोषणीय नहीं है । अपीलांट के द्वारा वादीगण की आराजी पर कभी भी कब्जे का प्रयास नहीं किया गया है । वाद में अपीलांट के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 317 के बाबत अनुतोष चाहा गया है परन्तु अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया है । जवाबदावा पेश हुआ था फिर भी तनकीयात कायम नहीं की गई । इस डिक्री की आड में वादीगण अपीलांट के खाते की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय

की जानकारी दिनांक 30.06.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 317 की खातेदार होने के कारण अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है । अतः उन्हें अपील पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है । अपीलांट खसरा नम्बर 317 के खातेदार कृषक हैं जिनको बिना पक्षकार बनाये दावा पेश किया गया था । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । डिक्री की आड में रेस्पोडेंट अपीलांट के खाते की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 317 के बाबत कोई डिक्री पारित नहीं की गई है । अतः अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

चपत्रावली के साथ सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2070–73 नया खाता संख्या 364 कुल 4 किता की 43 बीघा 1 बिस्वा आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति भी सलंग्न है और नक्शाट्रेस की प्रति भी सलंग्न है । नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 241 सलंग्न है जिसमें 3 किता की 5 बीघा 15 बिस्वा आराजी अपीलांट के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 317 भी शामिल है । पत्रावली पर प्रतिवादी नम्बर 1 का जवाबदावा सलंग्न है और बयान वादिनी पी डब्ल्यू 1, मुकेश पी डब्ल्यू 2 सलंग्न है ।

वादिनी ने दावा अन्तर्गत धारा 188, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है और अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 318 और 324 के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है अधीनस्थ न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा भी खसरा नम्बर 318 व 324 के लिए दी है, नकल जमाबंदी एक्जीविट 1 के अनुसार यह वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है । अपीलांट के खाते में खसरा नम्बर 317 की आराजी दर्ज है। अपीलांट ने मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि खसरा नम्बर 317 उनके खाते में दर्ज है व उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को सहायता खसरा नम्बर 318 और 324 की आराजी के लिए दी है न कि वादिनी के खाते की खसरा नम्बर 317 के लिए । ऐसी स्थिति में अपीलांट को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है, जो व्यक्ति वादिनी के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी में दखल अंदाजी कर रहे

थे, उन्हें वादीगण ने पक्षकार बनाया है । अपीलांट के खाते की आराजी के बाबत कोई सहायता नहीं चाही गई है । इन तथ्यों के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा